न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 23 / 2022

प्रार्थी –

मांगाराम पुत्र छोगाराम जाति प्रजापत निवासी बजावास गोल स्टेशन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भीमरलाई
2. सांवलाराम पुत्र जोगाराम जाति प्रजापत निवासी बजावास गोल स्टेशन तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 374 दिनांक 27.10.2014 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भीमरलाई द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हसन खां, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.01.2023

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भीमरलाई द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम भीमरलाई में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 374 दिनांक 27.10.2014 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत भीमरलाई का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के पुराने स्वामित्व व अधिपत्य के परिसर ग्राम गोल स्टेशन की आबादी में चौराहा पर स्थित हैं जिसके पडौस गोबरराम पुत्र गुणेशाराम का भूखण्ड आया हुआ हैं। निगरानीकर्ता के उक्त कब्जे के भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोल स्टेशन का अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 27.10.2014 को आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए प्रार्थी के करीब 60 वर्ष पुराने कब्जे व रहवास का जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

4. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने गलत रूप से निगरानीकर्ता के परिसर के संबंध में अपना परिसर बताते हुए साख के रूप में निगरानीकर्ता एवं पड़ौसी गोबरराम के कूटरचित शपथ–पत्र पेश किये गये हैं जिसके संबंध में पुलिस में शिकायत पेश की गई है। उक्त शपथ–पत्रों में न तो निगरानीकर्ता द्वारा स्टाम्प खरीदे गये और न ही उस पर किये गये अंगुष्ठ निशान निगरानीकर्ता के हैं। अप्रार्थी स्वयं के कब्जे का परिसर अन्य भूखण्ड पर काबिज है एवं उक्त परिसर अर्थात वास्तविक रहवास के परिसर का पट्टा आज तक नहीं बनाया है। आलौच्य पट्टा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत रूप से प्रार्थी के भूखण्ड में जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने आलौच्य समस्त कार्यवाही छुपे रूप से बिना निगरानीकर्ता की जानकारी में लाये अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर सम्पन्न कराई गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर दिनांक 01.08.2022 को नकल प्राप्त करने पर हुई तथा जानकारी होने से सम्यक तत्परता से यह निगरानी पेश की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की पूर्ण पालना किये बिना अनियमित रूप से जारी किया गया है जो खारिज योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में जांच, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने यह भी प्रकट किया कि वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय जसोल में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्ध करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इसके अलावा वादग्रस्त भूखण्ड के कब्जे के संबंध में गोबरराम द्वारा विवाद किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सिविल न्यायालय बालोतरा में दीवानी वाद में स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त स्थल की मौका कमीश्नर रिपोर्ट तलब की गई जिसमें भूखण्ड मय परिसर अप्रार्थी संख्या 2 कब्जे में होना बताया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होना प्रमाणित मानते हुए अप्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

6. हमने हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत गोल स्टेशन से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि का अप्रार्थी स. 2 के आवेदन पर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया गया हैं। इस हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड की मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं तथा सार्वजनिक आपत्तियों के आमंत्रण उपरांत पंचायत की बैठक दिनांक 20.10.2014 में प्रस्ताव सं. 03 पारित करते हुए आलौच्य पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विलेख पुराने कब्जे के नियमितीकरण के रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया हैं। प्रार्थी का कथन हैं कि विवादित भूमि पर उनका 60 वर्ष पुराना कब्जा हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 का अपना अलग परिसर पर रहवास एवं कब्जा है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से निगरानी अधीन प्रकरण में प्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई उजर–ऐतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता हैं। ऐसे में यदि प्रार्थी को आलौच्य प्रकरण के सम्बन्ध में कोई एतराज हैं तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण के समय उजरदारी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी संख्या 2 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली में गवाहान के बयान पंचायत में उपलब्ध कागजात पर लिये जाकर ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सेवक एवं वार्ड पंचों की सर्वसम्मति से आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 20.05.2013 को जारी किया गया है जिसमें नियमों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय जसोल में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त पट्टा विलेख के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर